290

5
11-5-12

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग०प्र०पीठ रीवा, जिला रीवा, म०प्र०

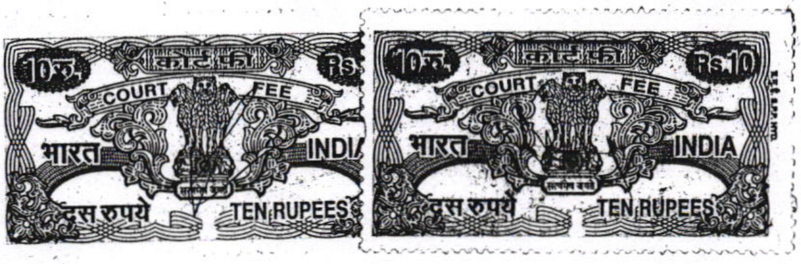

R-1576-I/12

प्रधानाचार्य नवीन सरस्वती ज्ञान मंदिर मझगंवा जिला सतना, म०प्र०

-- आवेदक /निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म०प्र०

पशु चिकित्सा अधिकारी मझगंवा जिला सतना, म०प्र० -- अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील मझगंवा जिला सतना म०प्र० रा०प्र०क्र० 05/अ-13/2011-12 दिनांक 30-4-12

= = = = = = = = = = = = = = = =

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

= = = = = = = = = = = = = = = =

अधिवक्ता श्री रवीन्द्र पाण्डेय
द्वारा प्रस्तुत
शीघ्र दिनांक 9.5.2012
9/5/12

राजस्व मण्डल
1290
दिनांक 11-5-12
ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है-

1:- यह कि आवेदक ने एक आवेदन अन्तर्गत 131 म०प्र०भू०रा०सं० का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील मझगंवा जिला सतना को इस बावत दिया कि आ०ख०क्र० 480/1 रकवा 0-989 है० जो शासकीय दर्रा पटवारी अभिलेख मे दर्ज रिकार्ड है। इसी आराजी से यानी पी०डब्लू०डी० बाउण्ड्री के बगल यानी पश्चिम हिस्से से आवेदक की स्कूल नवीन सरस्वती ज्ञान मंदिर तक आने जाने का रास्ता जो वर्तमान मे उपयोग मे लिया जाता है जिसका रकवा लगभग 60 x 20 फिट उक्त आराजी का अंश भाग है जिसे छात्रो के हित मे बहाल किया जाना आवश्यक है क्यो कि उक्त शासकीय रास्ता एक बंदोबस्ती शासकीय दर्रा है और सुखाचार के अन्तर्गत आता है को बहाल किया जाय का आवेदन तहसीलदार मझगंवा को दिया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय यह मानकर आवेदक का आवेदन पत्र प्राथमिक सुनवाई पर ही निरस्त कर दिया कि बिवादित मार्ग प्रचलित रूढिगत श्रेणी का नहीं है जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बिरुद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

(49)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र. नि.1576/I/14 जिला–सतना

(1)	(2)	(3)
27.10.16	आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता 5 पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहें है। उनको समय–समय पर आवाज लगवाई गयी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	